Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : RAJIYASIR

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 05-04-2021 6:25 PM

Fee Receipt No	:	202102219000679	Receipt Date	:	05/04/2021
Name	:	OM PARKASH ,	Document S. No.	:	202101219000678
Address	:	0 ,0 ,SURATGARH ,GANGANAGAR			
Document Type	:	Order of land use change or conversion of land			
Face Value	:	₹ 43400	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 434	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 200	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 400	Stamp Duty	:	₹ 1302
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 2336**
			Total Amount	:	**₹ 2336**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #) ***Rebate U/S 9(1)** : **₹ 868**

e-Gras Challan 49325464 ₹ 10 # e-Gras Challan 49205722 ₹ 2326

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

प्रारूप—(ख)
[देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)]

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (जिला कलक्टर) श्रीगंगानगर

क्रमांकः— एफ 12 (3) (39) राजस्व / 2020 / 1643 दिनांकः— 22-03-2021

—: संपरिवर्तन आदेश :—

आवेदक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रणजीत राम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डी.ओ. 'ए' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित भूमि का राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति का नाम सहित पूरा पता	ओम प्रकाश पुत्र रणजीत जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :—	
(क)	ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	ग्राम 2 डी.ओ.—ए ग्राम पंचायत 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ
(ख)	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में)	पत्थर नं. 23 / 30 मुरब्बा नं. 19 किला नं. 16 / 0.253, 17 / 2(0.181) हैक्टर कुल 0.434 हैक्टर (4340 वर्गमीटर)
(ग)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर / वर्गमीटर में)	पत्थर नं. 23 / 30 मुरब्बा नं. 19 किला नं. 16 / 0.253, 17 / 2(0.181) हैक्टर कुल 0.434 हैक्टर (4340 वर्गमीटर)
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	10 / —रूपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करवायी गयी प्रीमियम की रकम	ई—चालान जीआरएन 37142758 दिनांक 24.01.2020 द्वारा 10000 / —रूपये व ई—चालान जीआरएन 47185286 दिनांक 05.02.2021 द्वारा 33400 / — रूपये कुल 43400 / — रूपये राजकोष में मद 0029—00—800—07—02 में जमा
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो तो	नहीं

Presentation Endorsement

आज दिनांक 05 माह 04 सन् 2021 को 06:22 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री OM PARKASH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RANJEET
उम्र 34 वर्ष, जाति 0-BISHNOI , व्यवसाय Farmer
निवासी House No.:0, Colony: 0, Area: BHOPAL PURA , City: SURATGARH , Pin code: 335804, District: GANGANAGAR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

ओम प्रकाश
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101219000678

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
RAJIYASIR

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102219000679
दिनांक	05-04-2021
पंजीयन शुल्क ₹	434
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1302
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	400
कुल योग	2336

202101219000678

उप पंजीयक, RAJIYASIR

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगाः–

1. उपर्युक्त अकृषिक [वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प)] प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याह्रत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहत प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. इण्डियन रोड कांग्रेस (IRC) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व मेजर कमान अधिकारी 101 सडक निर्माण कम्पनी (ग्रेफ) द्वारा 56 सेना डाकघर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सडक मार्ग के मध्य बिन्दु से सडक सीमा की निर्धारित दूरी 93 फुट छोडते हुए उसके बाद निर्माण कार्य करना होगा। भविष्य में सडक की चौडाई बढाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे से हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जावेगा।
6. भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 79 व 80 की शर्तो के अनुसार निर्माण किया जावेगा।
7. राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं राज्य सरकार/संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों/आदेशों में वर्णित प्रावधानों/मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवेदक बाध्य होगा।
8. उपर्युक्त सभी शर्तो की पालना करने हेतु आवेदक बाध्य होगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र में अंकित किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने पर बिना सुनवाई आदेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वंय जिम्मेदार होगा।

ह०

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांकः– एफ 12 (3)(39) राजस्व/2020/ 1644-49 दिनांकः– 22-03-2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन, वृत श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर
2. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ
3. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संपरिवर्तित भूमि का शर्तो के अध्यधीन नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर नामान्तरकरण व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक, राजियासर तहसील सूरतगढ
5. सरपंच, ग्राम पंचायत 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ
6. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रणजीत राम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डी.ओ. 'ए' भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
7. रक्षित पत्रावली

20/3/2021

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

ओमप्रकाश

उप–पंजियक
राजियासर

कमरा नं. 15, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट परिसर, श्रीगंगानगर–335001 दूरभाष नं. 0154–2445222, 2440988 (फैक्स) ई–मेल dm-gan-rj@nic.in

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री OM PARKASH , पुत्र/पुत्री/पति श्री RANJEET , व्यवसाय Farmerजाति 0-BISHNOI House No.:0, Colony: 0, Area: BHOPAL PURA , City: SURATGARH , Pin code: 335804, District: GANGANAGAR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 34 Signature : ओम प्रकाश

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 43400/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 43400/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DHURAV MIDHA , पुत्र/पुत्री/पति श्री BHIM CHAND MIDHA जाति ARORA Age: 22 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: WARD NO 19 VIJAYNAGAR , City: VIJAYNAGAR , Pin code: 335704, District: GANGANAGAR, State: RAJASTHAN			Signature

202101219000678

उप पंजीयक, RAJIYASIR

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Registration Endorsement

आज दिनांक 05/04/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 659 में
पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 202103219100356 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1879 के
पृष्ठ संख्या 118 से 119 पर चस्पा किया गया।

202101219000678

उप पंजीयक, RAJIYASIR

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.